संख्या- 22/2018/सा-3-845/दस-2018-301(09)/2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन।

महोदय,

प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(NPS) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या - सा-3-1067/दस-2011-301(09)/2003, दिनांक 15-09-2011 में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया दी गई है जिसमें कर्मचारियों के परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउण्ट नम्बर (PRAN) पंजीकरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है।

2- राज्य सरकार द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि0 (NSDL) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (CRA) के रूप में अनुबंधित किया गया है। NSDL द्वारा अपने पोर्टल https://cra-nsdl.com पर ऑनलाईन PRAN पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

3- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि NPS के अंतर्गत कार्मिकों के PRAN पंजीकरण हेतु NSDL के पोर्टल https://cra-nsdl.com पर उपलब्ध ऑन लाईन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (OPGM) का प्रयोग किया जाये।

भवदीय
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

--2

संख्या- 22/2018/सा-3-845(1)/दस-2018-301(09)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक पेंशन, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ |
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।
6. सहायक उपाध्यक्ष, एन0एस0डी0एल0, चतुर्थ तल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोवर पैरल, मुम्बई-400013
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।